न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

नंबर टी.आई. / 66 / 2018 तारीख रजु 20.07.2018

उनवान

योगेन्द्र उम्र 45 साल
संतोष उम्र 35 साल
सुनील उम्र 40 साल
पिसरान रामरतन, जाति ब्राहमण, निवासी सोनपाल का पुरा, तह0 हिण्डौन जिला करौली

---प्रार्थीगण(03)

बनाम

जमीनी उम्र 70 साल
भागमल उम्र 65 साल
पिसरान जगन्नाथ, जाति ब्राहम्ण नि0 सोनपाल का पुरा, तह0 हिण्डौनसिटी जिला करौली

----अप्रार्थीगण(02)

थतिः–

सायल की ओर से :– श्री अशोक नीमनका एडवोकेट
गैरसायल की ओर से :– श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट

र्थना पत्र अस्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 25.02.2020

प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकालतन एक प्रार्थना पत्र त् अस्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नं0 999 रकबा 4.50 हैक्ट0 वाके ग्राम धंधावली सील हिण्डौन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी मे प्रार्थीगण बहिस्सा 1/2 अप्रार्थी सं0 1 व 2 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार रहे है, लेकिन रेवन्यू रिकॉर्ड प्रार्थीगण प्रत्येक बहिस्सा 22/135 एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा 23/90 की स्सेदारी बाबत इन्द्राज दर्ज रिकॉर्ड है। जो एकदम गलत व मनगढन्त है। जिसे दुरूस्त रमाया जाना आवश्यक एवं न्याय सुसंगत है।

प्रार्थीगण अपने खेतों को अगली फसल बावत् तैयार कर रहे थे कि अप्रार्थी मौके पर ाये एवं कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से में अधिक भूमि है। इसलिए अब की बार तुम लोग मारे हिस्से को काश्त करोगे एवं तुम्हारे हिस्से को हम काश्त करेंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने प्रार्थी को समझाने को प्रयास किया कि यदि आप लोगो के रिकार्ड में हिस्सेदारी बावत कोई शंका है तो तहसीलदार जी हिण्डौन के समक्ष चल कर विधिवत बंटबारा करवा लो। जिसके बावत अप्रार्थीगण ने स्पष्ट मना कर दिया एवं कहा कि तुम्हें आवश्यकता है तो बटबारा तमु कराओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं है हम कहीं नहीं जायेंगे। हम डण्डे के बल पर तुम्हारे हिस्से को काश्त करेंगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाने का भरसक प्रयास किया, कि मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 12:45:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

चेष्टा कामयाब हो गये, तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति
भी प्रकार होना संभव नहीं हो सकेगी।

अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को
ीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस् ऑफ मनी होना संभव
हो सकेगा, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार
होगी।

इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बाखूबी
त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये आदेश अस्थाई
ाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नं0 999
4.50 हैक्ट0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति
रखे। आराजी को रहनवय नहीं करें। ऐसा कोई कार्य नातो स्वयं करे नाही किसी
से करावे जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया
। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
ा

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार हैं विवादित आराजी खसरा नंबर 999 रकबा 4.
हैक्टर स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन सिटी में सायलान व गैरसायलान संख्या 1
2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहे होने वाली बात बिल्कुल गलत व
स्वीकार है। हाल रेवन्यू रिकॉर्ड में सायलान प्रत्येक का 22/135 हिस्सा भी भू–प्रबन्ध
भाग ने बिल्कुल गलत दर्ज कर दिया है। जबकि सायलान का उक्त भूमि खसरा नंबर
99 रकबा 4.50 हैक्ट0 से कोई संबंध वास्ता नहीं है। उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2
पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। सायलान का उक्त भूमि पर
कभी कब्जा नहीं रहा नाही आज है। भू–प्रबन्ध विभाग ने भूमि खसरा नंबर 999 रकबा 4.50
हैक्ट0 में सायलान का प्रत्येक का 22/135 हिस्सा दर्जकर रिकॉर्ड ऑफ राईट्स की
पवित्रता को नष्ट कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही
है जिसकी दुरूस्ती बावत गैरसायल संख्या 1 व 2 को अलग से कानूनी कार्यवाही करनी
पडेगी।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत है और अस्वीकार है। उक्त ... बातें बिल्कुल
बनावटी व मनगढन्त दर्ज की है। दिनांक 29.06.2018 ... व
गैरसायलान संख्या 1 व 2 के मध्य कोई ... भूमि से
कोई संबंध वास्ता हीं नहीं है। तो गैरसायलान द्वारा सायलान ... नहीं करने की
कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ना ही सायलान व गैरसायलान के मध्य तहसील में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 12:45:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

बटवारे संबंधी कोई बात हुई है। उक्त मद में सायलान ने सभी बातें बनावटी दर्ज

यह है कि सायलान ने आराजी हाल खसरा नंबर 999 रकबा 4.50 हैक्ट0 बाके म धंधावली में अपना 1/2 हिस्सा होना बताया है तथा उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड में उमल दरामद करवाने की इस्तदुआ चाही है जबकि सायलान ने अपने पत्र में यह कभी भी अंकित नहीं किया है कि सायलान का पूर्व में कौन से संवत में हिस्सा रिकॉर्ड में रहा है तथा बिना साविक राजस्व करकार्ड सायलान का दावा एवं पत्र हाजा कानूनन मेन्टीनेविल नहीं है तथा मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

यह कि सही तथ्य यहकि हाल खसरा नंबर 999 रकबा 4.50 हैक्ट0 बाके तन ग्राम ली तहसील हिण्डौन सिटी साविक खसरा नंबर 621 से बना है तथा साविक खसरा 621 गैरसायल संख्या 1,2 व गैसायल नं0 1 व 2 के के पिता स्व0 श्रीजगनलाल व यल संख्या 1 व 2 के बाबा स्व0 हरेत के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की भूमि रही था साविक रिकॉर्ड में सायलान व सायलान के पूर्वजों का नाम दर्ज चला आ रहा है भू–प्रबन्ध विभाग ने गैरसायल संख्या 1,2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हाल रा नंबर 999 रकबा 4.50 हैक्ट0 में सायलान का प्रत्येक 22/135 हिस्सा दर्जकर कार्ड ऑफ राईट्स की पवित्रता को ही नष्ट कर दिया जबकि सायलान का अपने पूर्वजों समय से ही उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं रहा है तथा भू–प्रबन्धक विभाग को यलान का नाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसका दुरूस्ती का वा गैरसायलान की तरफ अलग पेश किया जावेगा।

यहकि सायलान क्लीन से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये है इसलिए ायलान माननीय न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यह कि सायलान का उक्त विवादित भूमि पर न तो कभी कब्जा काश्त रहा न ही आज है तथा बिना कब्जे के सायलान कोई रिलीफ प्राप्त करे के अधिकारी नहीं है।

यह कि सायलान ने उक्त दावा एवं प्राथना पत्र हाजा गैरसायलान को हैरान परेशान व हरेशमेन्ट करने की गरज से पेश किया है जो बिना किसी रिकॉर्ड के पेश किया है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर (2018) आर[illegible] बनाम रामभरोसे निर्णय दिनांक 24.03.2017 एवं [illegible] बाई बनाम वंशीलाल की प्रति पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का [illegible]ता से अवलोकन किया जाकर तथ्यों पर मनन किया गया। [illegible] संवत् 2071–2071 वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आ.ख.नं. 999 रकबा 4.50 है पर सहखातेदार दर्ज है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा 66/135 एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 12:45:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

46/90 दर्ज रिकॉर्ड है। वाद में वादीगण द्वारा 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 1/2 हिस्सा बताते हुए तकास्मा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 व 2 के हिस्से लगभग बराबर हैं तथा हिस्सा संबंधी तथ्य मूलवाद में ही निर्णित होने हैं।

अतः समस्त तथ्यों के आधार पर सुविधा का संतुलन, अपूर्णीयक्षति का विन्दु क्ष में साबित नहीं होता है। किसी भी रिकॉर्डड खातेदार को उसके खातेदारी के ारों के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना कानूनी दृष्टी से उचित नहीं है। इस ा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार र नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ाया गया।

25.02.2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड हिण्डौन अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 12:45:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner